

प्ररूप 2ख

[देखिए नियम 39(ख)(2)]

गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा
नगरपालिका/नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का
चुनाव

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी,

.....

.....

मैं..... उम्मीदवार/**निर्वाचन
अभिकर्ता जो उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसके द्वारा, निम्नलिखित
व्यक्तियों को में मतगणना पर हाजिर रहने के लिए मुझे/उसके
**गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

गणना अभिकर्ता का नाम

गणना अभिकर्ता का पता

1

2

3

4

5

6

इत्यादि

स्थान

तिथि

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

हम ऐसे गणना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1

2

3

4

5

6

इत्यादि

स्थान

तिथि

गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

गणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

हम, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 275 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन निषिद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। जिसे हमने पढ़ लिया है/हमें पढ़ कर सुना दिया गया है।

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- इत्यादि

स्थान

गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

तिथि

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

**अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

धारा 275(1) प्रत्येक कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और उसके बनाए रखने में सहायता देगा और (किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) किसी व्यक्ति को कोई ऐसी जानकारी संसूचित नहीं करेगा, जिससे ऐसी गोपनीयता, भंग हो सकती है।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जो जान बूझकर इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करता है, तीन मास की अनधिक अवधि के लिए किसी प्रकार के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा।